

सार्वजनिक सूचना

निदेशक टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, हरियाणा, चंडीगढ़ ने ज्ञापन संख्या ZP&1110/PA(DK)/2023/40315 दिनांक 23/11/2023 के माध्यम से एक किफायती गुप हाउसिंग कॉलोनी स्थापित करने के लिए 1.6625 एकड़ [2023 का लाइसेंस संख्या 162 दिनांक 11/08/2023] के अतिरिक्त लाइसेंस प्राप्त क्षेत्र पर संशोधित भवन योजनाओं के अनुमोदन के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है, जिससे सेक्टर-93, गुरुग्राम में कुल साइट क्षेत्रफल 11.6625 एकड़ हो गया है, जिसका निर्माण 10.0 एकड़ क्षेत्रफल पर [2016 का लाइसेंस नंबर 01 दिनांक 04/02/2016 और 2019 का लाइसेंस नंबर 51 दिनांक 06/03/2019] के माध्यम से सिग्नेचर बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है।

उक्त सैद्धांतिक मंजूरी के अनुसार, निदेशक टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, हरियाणा, चंडीगढ़ ने कंपनी को प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से बिल्डिंग प्लान में उक्त संशोधन के बारे में मौजूदा आवंटियों को सूचित करने का निर्देश दिया है और तदनुसार नोटिस जारी किया गया है। उनकी जानकारी और यदि कोई आपत्ति है, तो उसे इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के भीतर वरिष्ठ नगर योजनाकार, गुरुग्राम के कार्यालय में भेजा जा सकता है। दी गई उक्त अनुमति हमारी वेबसाइट www.signatureglobal.in पर भी अपलोड/होस्ट की जा रही है।

Sd/-

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

सिग्नेचर बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड

CIN: U70101DL2011PTC220275

रजि. ऑफ-13वीं मंजिल, डॉ. गोपाल दास भवन,

28 बाराखंभा रोड, नई दिल्ली-110001

स्थान-गुरुग्राम

दिनांक: 27-11-2023